संख्या-56/2018/732/26-3-2018-10(30)/2016

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः 20 मार्च 2018

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 योजनान्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भानपुर बस्ती के भवन मरम्मत कार्यो हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-1649/स.क./आ.प.वि.-प्रकोष्ठ/भानपुर-बस्ती (59/2017-18 दिनांक-07.03.2018 एवं शासनादेश संख्या-235/2016/592/26-3-2018-10(30)/2016, दिनांक-22.12.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 योजनान्तर्गत राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भानपुर बस्ती के भवन मरम्मत कार्यो हेतु आकलित लागत रू0-255.51 लाख (रू0 दो करोड़ पच्चपन लाख इक्यावन हजार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0-112.76 लाख (रू0 एक करोड़ बारह लाख छिहत्तर हजार मात्र) संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1)-प्रश्नगत जनपद-बस्ती भानपुर के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन मरम्मत का प्रस्ताव निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जिलाधिकारी, बस्ती से कार्यदायी संस्था ''यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0'' से आगणन गठित कराकर उपलब्ध कराया गया था। अतः निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था ''यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0'' से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)- स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित जिलाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन/निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)-संबंधित जिलाधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(5)-उक्त निर्माण/विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा महाप्रबन्धक/जिलाधिकारी के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों एवं राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा एवं व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक-यथोक्त-बी0एम0-9

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

पृ0संख्या-56/2018/732(1)/26-3-2018-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0शासन।
3.जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, बस्ती।
4.निदेशक, स्थानीय निधि लेखापरीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
5.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।
7.निदेशक (वित्त)/वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0लखनऊ।
8.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0स्टेट कान्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9.जिला समाज कल्याण अधिकारी, बस्ती।
10.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) उ0प्र0शासन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग-6 उ0प्र0शासन।
12.गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2017-2018 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-12-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित लाभार्थियों को टरशरी केयर चिकित्सा सुविधा-42-अन्य व्यय-	867.12	112.76	112.76	112.76	754.36
योग	867.12	112.76	112.76	112.76	754.36

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण-	791.60	904.36	112.76	112.76	904.36
योग	791.60	904.36	112.76	112.76	904.36

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- योजना के कियान्वयन किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0-46/दस-2018, दि0 1/2/18

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम

उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-56/2-18/752 (1)/26-3-2018-दिनांक 20 मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, बस्ती।
6- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक (वित्त)/वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
8- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी बस्ती।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
10- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुभाग-6,उ0प्र0 शासन।
11- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव।

http://

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।